



राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी-सुश्री गहिगा कसाना, आई.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या-4/2024

जी0सी0एम0एस0 संख्या- 2024/38

दायर दिनांक- 11.03.2024

निर्णय दिनांक-25.10.2024

1. माफी मंदिर श्री राधामोहन जी महाराज जरिये पुजारी श्री श्यामलाल शर्मा निवासी तेजाजी का चौक नरेना तह0 रूपनगढ़ जिला अजमेर

—प्रार्थी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, रूपनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।

—अप्रार्थी

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान-भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति-:1. श्री अरविन्द दाधीच अधि0 प्रार्थी

2 पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़

-:निर्णय:-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की एकल कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि आराजी ग्राम नरेना पटवार हल्का जूणदा भू-अ0नि0 क्षेत्र भदूण तहसील रूपनगढ़ में अवस्थित है जिसके खाता संख्या 242 के ख0न0 343 रकबा 0.0647 है0, ख0न0 344 रकबा 7.7780 है0 कुल कित्ता 2 कुल रकबा 7.8427 है0 भूमि स्थित है जिसमें प्रार्थी का हिस्सा सम्पूर्ण है तथा उक्त कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड अनुसार प्रार्थी के नाम एकल कब्जे काश्त एवं खातेदारी में दर्ज हैं। उपरोक्त वर्णितानुसार कृषि भूमि पर प्रार्थी मौके पर काबिज काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी की उक्त भूमि में किसी भी अन्य खातेदार का किसी भी प्रकार से कोई हक व हिस्सा या दखल नहीं है। उक्त एकल कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि आराजी में एक बावड़ी बनी हुई जो सम्वत् 1707 को लिखे गये ताम्रपत्र के अनुसार उक्त ताम्रपत्र जो कि श्री राधामोहन मंदिर के लिये लिखा गया है। उक्त ताम्र पत्र में गोपाल सागर बडी कोठी से दक्षिण दिशा में छापर के पास बावड़ी दर्शायी गई है जिसका विवरण ताम्रपत्र में उल्लेखित किया गया है। उक्त खसरा नम्बर की भूमि का राजस्व नक्शा ट्रेस में तरमीम होने के बावजूद प्रार्थी व पड़ौसी खातेदारान के मध्य नींव, सींव को लेकर भविष्य में विवाद उत्पन्न ना हो इसलिए प्रार्थी की उक्त खसरा नम्बर की भूमि की पत्थरगढ़ी किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी का अन्य किसी पड़ौसी खातेदार से कोई वाद विवाद नहीं होने के कारण कोई अनुतोष नहीं चाहा है।

Shrini
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)



अप्रार्थी संख्या 1 भूमिधारक (लेण्ड होल्डर) होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना है कि प्रार्थी की एकल कब्जे काशत एवं खातेदारी की उक्त भूमि के चारों तरफ मुताबिक राजस्व रिकार्ड नवशा ट्रेसा के अनुसार पत्थरगढ़ी करवाये जाने हेतु आदेश प्रार्थी के पक्ष में प्रदान करवाने की करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलवी जरिये नोटिस की गई। प्रकरण में अप्रार्थी तहसीलदार रूपनगढ़ की ओर से जवाब पेश किया गया। प्राप्त जवाब अनुसार प्रार्थी उक्त भूमि में माफी मंदिर श्री राधामोहन जी महाराज स्थान देह हिस्सा सम्पूर्ण खातेदार दर्ज है इस प्रकार प्रार्थी उक्त भूमि में खातेदार दर्ज नहीं है। राजस्व प्रार्थना पत्र में पड़ौसी खातेदारान को पक्षकार बनाया जाना उचित है।

हमने वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी व पड़ौसी खातेदारान के मध्य नींव सींव के संबंध में विवाद होता रहता है इसलिए पत्थरगढ़ी करवाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करावें। पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ ने अपनी बहस में पैरोकार सरकार के जवाब को ही बहस माने जाने हेतु अपनी सहमति प्रदान की।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। तदनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम नरेना के खाता संख्या 242 के ख0न0 343 रकबा 0.0647 है0, ख0न0 344 रकबा 7.7780 है0 कुल कित्ता 2 कुल रकबा 7.8427 है0 भूमि की पड़ौसी खातेदारों को सूचित करते हुये उनकी उपस्थिति में मौके पर किसी प्रकार का वाद-विवाद ना हो तो नियमानुसार पत्थरगढ़ी करने के आदेश दिये जाते है। इस हेतु तहसीलदार रूपनगढ़ को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर शुल्क की राशि रूपये 1000/- अक्षरे एक हजार रूपये मात्र नियत की जाती है। जिसका मौके पर भुगतान हो। पत्थरगढ़ी शुल्क की राशि रूपये 100/- अक्षरे एक सौ रूपये मात्र जरिये चालान जमा होने पर आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25.10.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।



Mahima
महिमा उपखण्ड अधिकारी
(अजमेर)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)